Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 6 | ISSN : 2581- 6306

रीवा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चुनौतियाँ एवं समाधान हेतु प्रयास का समीक्षात्मक अध्ययन

पूजा शुक्ला, डॉ. सतीश कुमार गर्ग
प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय विवेकानन्द महाविद्यालय, मैहर, जिला सतना (म.प्र.)

Article Info

Volume 5, Issue 2

Page Number : 101-108

Publication Issue :

March-April-2022

Article History

Received : 01 March 2022

Published : 17 March 2022

शोध सारांश :– शोध पत्र रीवा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चुनौतियां एवं समाधान हेतु प्रयास का समीक्षात्मक अध्ययन से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्न वर्ग के व्यक्तियों के सहयोग हेतु संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चुनौतियों में शासन द्वारा संचालित इस प्रणाली के अन्तर्गत दिये जाने वाली खाद्य सामग्री गुणवत्ता युक्त न होने, इस प्रणाली को समेकित करते हुए नयी योजना न लागू करना, हितग्राहियों के विकास हेतु नये अधोसंरचना का निर्माण करना, राज्य के सभी ग्राम पंचायतों एवं आश्रित गाँवों में खाद्यान्न सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित गोदाम एवं उचित रख–रखाव की व्यवस्था करवाना। खुले बाजार से कम कीमतों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वस्तुएँ प्राप्त न होना, उपभोक्ताओं द्वारा इस प्रणाली के सम्बंध में की गयी शिकायतों पर समय पर उचित कार्यवाही न करना, उपभोक्ताओं को जितनी खाद्य सामग्री मिलनी है उससे कम मिलना, शासन द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दूकानों का सभी ग्रामीण क्षेत्रों में न खोला जाना, निःस्वार्थ लोगों के हाँथों में इस प्रणाली प्रबंधकों को न सौंपा जाना, शासन द्वारा संचालित आगनबाड़ी एवं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, पोषाहार की गुणवत्ता पर ध्यान न देना, हितग्राहियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ही शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का न होना, सभी वितरण केन्द्रों पर बायोमिट्रिक मशीन का प्रयोग न होना, सभी वितरण केन्द्रों में पूरी तरह ऑनलाईन से एंड्राईड टेबलेट का उपयोग न करना तथा नोटिस बोर्ड में खाद्य सामग्री के मूल्यों का विवरण न होना इत्यादि प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण इसके अन्तर्गत किया गया है और साथ ही इनके समाधान के प्रयास को भी व्यापक स्तर पर समझाया गया है।

मुख्यशब्द :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्य प्रदेश, चुनौतियाँ, समाधान, प्रयास, गुणवत्ता, हितग्राही आदि।

प्रस्तावना :–

रीवा जिले में एक नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जून 1992 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित की गयी। इसके तहत राज्य के अत्यधिक पिछड़े जिलों के गावों व शहरों में 09 ब्लाक या खंड, जनजाति या आदिवासी बहुल क्षेत्र, सूखा वाले क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और शहरों की गरीब बस्तियों को चुना गया। इन क्षेत्रों

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

के राज्य सरकार जिलों एवं ग्रामीण व शहरों के लिए 50 रुपये क्विंटल न्यूनतम कीमत पर चावल व गेहूँ की आपूर्ति करती है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार इन क्षेत्रों में कुछ अन्य वस्तुओं जैसे तेल, साबुन, चाय, नमक, दाल, चीनी, चना इत्यादि का भी वितरण राज्य सरकार के अन्तर्गत आती है।

शोध विधि :–

शोध अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया है। प्राथमिक आंकड़ों के प्रयोग हेतु अनुसूची का प्रयोग और द्वितीय आंकड़ों के लिए पत्र–पत्रिकाओं, शोध ग्रन्थों एवं शोध पत्रों इत्यादि का प्रयोग किया है। रीवा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हितग्राहियों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री की दशा को जानने के लिए साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्र कर उनका विश्लेषण किया गया है।

पूर्व अध्ययन समीक्षा :–

पूर्व अध्ययन समीक्षा पूर्ववर्ती अध्ययन से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सबन्धित उन
सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोशों, पत्र–पत्रिकाओं, शोध पत्रों तथा अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। इनमें से मुख्य रूप से सिन्हा, डॉ. वीसी. एवं सिन्हा, डॉ. पुष्पा (2009) व्यावसायिक पर्यावरण, त्रिवेदी, डॉ. आर.एन., शुक्ला, डॉ. डीपी. (1993–94) रिसर्च मैथ्डोलॉजी, अग्रवाल, डॉ. आरसी. कोठारी, एन. एस. (1993) व्यवसाय और सरकार, शुक्ला डॉ. अखिलेश (2018–19) रीवा दर्शन, सस्कंरण, मिश्रा, एस. एण्ड पुरी, वीके. (2007) भारतीय अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित कार्य किये है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.):–

मध्य प्रदेश राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना 1 जून 1997 को प्रारम्भ की गयी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह विशेष रूप से सब्सिडी मिलने वाले कीमत पर निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है। वर्तमान समय में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक त्रिस्तरीय प्रणाली योजना है जिसके अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को तीन श्रेणी में रखा जाता है–

अन्योदय अन्न योजना वाले परिवार (ए.ए.वाई.):–

इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार 1 अप्रैल 2002 से प्रत्येक लाभार्थियों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार, चावल 3 रूपया प्रति किलो तथा गेहूँ 2 रूपये प्रति किलोग्राम देने का प्रावधान की गयी। गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार

बी.पी.एल. :–

इस योजना को राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2002 से शुरू किया गया था। इस योजना के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे स्तर वाले परिवार निर्गत कीमत गेंहू के सम्बंध में 415 प्रति किलोग्राम और चावल के सम्बंध में 5.65 प्रति किलोग्राम था। गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर वाले परिवार

ए.पी.एल. :–

इस योजना के तहत राज्य ने उन परिवारों को शमिल किया है जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं। उन परिवारों के लिए मूल्य आर्थिक लागत के बराबर होगा तथा खाद्यान्नों की आपूर्ति तभी होगी जब खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। अतः योजना आयोग तथा अन्य लोगों के अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि ए.पी.एल. को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा प्राप्त अधिकांश 30 प्रतिशत बाजार में वितरित होती है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जनवरी 2010 में निर्गत अन्तोदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को 10 किलो चावल व गेहूँ जो क्रमशः 15.37 और 10.80 रूपये पर प्राप्त होगा।

खाद्य सब्सिडी –

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का यह दायित्त्व कि छूट सहित खाद्यान्नों के माध्यम से गरीबों को न्यूनतम पोषण मुक्त मदद की सुव्यवस्था करना चाहिए और अनेक राज्यों में खाद्यान्नों के विषय में मूल्यों में स्थायित्व लाना खाद्य सुरक्षा नीति के प्रमुख ध्येय हैं। पिछले कुछ वर्षों में चावल और गेहूँ की आर्थिक लागत में काफी वृद्धि हुयी है, लेकिन इनके प्रदा कीमतों में कोई परिवर्तन अभी तक हुआ है, एन.एफ.एस.ए. के क्रियान्वयन के फलस्वरूप ए.पी. एल. और बी.पी.एल. धारकों हेतु केन्द्रीय निर्गम कीमतों में अत्यधिक कमी आयी है। इनके फलस्वरूप खाद्यान्नों पर छूट में काफी वृद्धि हुई है। खाद्य सब्सिडी की स्थिति का विवरण सारणी क्रमांक 1 में दर्शाया गया है, जो इस प्रकार है–

सारणी क्रमांक 1

खाद्य सब्सिडी (करोड़ रुपये में)

क्र.	वर्ष	खाद्य सब्सिडी
1.	2005-06	23071
2.	2012-13	84554
3.	2013-14	89740
4.	2014-15	107823
5.	2015-16	120635

स्रोतः– भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण एवं विश्लेषण, वर्ष 2019

सारणी क्रमांक 1 को देखने से स्पष्ट होता है कि यह खाद्य सब्सिडी से सम्बन्धित है, जिसमें वर्ष 2005–06 में 23071 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रदान की गयी थी, इसी प्रकार वर्ष 2012–13 में 84554 करोड़ रुपये, वर्ष 2013–14 में 89740 करोड़ रुपये, वर्ष 2014–15 में 107823 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2015–16 में 120635 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरकार द्वारा प्रदान की गयी थी, जिसके कारण सभी राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालित करने में काफी सहयोग मिला, जिनमें से मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिला ने इस प्रणाली के सहयोग का पूर्णतः लाभ उठाया, इस सब्सिडी के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों तक खाद्यान्न पहुँचाने में काफी सफलता हासिल की है जिससे रीवा जिला के बी.पी.एल. धारकों एवं अन्य निम्न वर्ग के व्यक्तियों को काफी आत्मबल मिला, क्योंकि ऐसे परिवार के लोगों को न्यूनतम मूल्य पर खाद्य पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, जिससे निम्न वर्ग के परिवार के लोगों को जीवन यापन में अत्यधिक मदद मिल रही है और राज्य के आर्थिक विकास की गति को प्रोत्साहन भी इससे अत्यधिक मिल रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा वाधवा कमेटी –

सर्वोच्च न्यायालय ने सम्पूर्ण राष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यप्रणाली के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश डी.पी. बाधवा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2010 में प्रस्तुत की, जिसमें समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियों को अधिक उजागर किया, जिससे प्रत्येक राज्य समिति द्वारा बतलायी गयी खामियों में सुधार कर इस प्रणाली को और अधिक सम्बल प्रदान कर सके। इस प्रणाली में सुधार के बाद प्रत्येक राज्य को खाद्यान्नों के वितरण में काफी सहयोग मिला है, जिससे आम जन मानस को खाद्य पदार्थों का केवल उचित मूल्य ही अदा करना पड़ रहा है और मध्यस्थों का समापन हुआ है, जबकि इस प्रणाली से आम जन मानस का सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जा सका है। इसमें संशोधन के बाद हितग्राहियों को काफी लाभ हो रहा है और उन्हें खाद्य पदार्थों की प्राप्ति हेतु इधर–उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सकुशल संचालन की व्यवस्था हेतु केन्द्र शासन द्वारा प्रदेश को खाद्य पदार्थों तथा राज्य योजना के अन्तर्गत डबल फोर्टिफाईड नमक व आयोडीन नमक के वितरण को प्राथमिकता प्रदान की गयी है। साथ ही संचालनालय के माध्यम से खाद्य पदार्थों का जिलानुसार उचित मूल्य दूकानों के द्वारा वितरण करना, राज्य में खाद्य पदार्थों, डबल फोर्टीफाईड नमक और आयोडीन नमक को प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्रदान किये जाने वाले केन्द्रों पर निरन्तर और अग्रिम खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को निश्चित करना और मध्य प्रदेश में द्वार प्रदाय योजना के अन्तर्गत

चिन्हित प्रदाय केन्द्रों से खाद्य पदार्थों, डबल फोर्टीफाईड नमक और आयोडीन नमक उचित मूल्य दूकान तक प्रदेश शासन की अधिकृत। चिन्हित एजेंसियों के रूप में पहुँचाने का कार्य भी सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिलावार खाद्यान्नों के आवंटन हेतु प्रमुख एजेंसियों का सहयोग लिया जा रहा है, इस कार्य हेतु राज्य में सत्र 2019–20 में प्रमुख खाद्य पदार्थों गेहूँ व चावल के आवंटन को सारणी क्रमांक है 2 के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है जो इस प्रकार है– सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शक्कर को वितरण की व्यवस्था – भारत सरकार द्वारा जून 2013 से राज्यों में संचालित शक्कर लेव्ही नीति को खत्म करने के पश्चात् नई नीति के रूप में प्रदेश के सभी अन्त्योदय तथा प्राथमिकता प्राप्त राशन कार्ड धारकों को स्वतंत्र निविदा प्रणाली से शक्कर को खरीद कर प्रति किलो ग्राम अतिशीघ्र राज्य शासन के निर्देशानुसार चीनी वितरण की कार्यवाही को अमल में लाया गया। रीवा जिले में खाद्यान्न, चीनी एवं नमक के वितरण की दरों को सारणी क्रमांक 2 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है–

सारणी क्रमांक 2

मध्य प्रदेश में खाद्यान्न, चीनी एवं नमक के वितरण की दरे

क्र	वस्तु	दर (रु. प्रति किलोग्राम)	प्रति किलोग्राम वस्तु खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अनुसार खाद्यान्न प्रदाय दर राज्य शासन द्वारा रियायती दर
1	गेहू	1	1
2	चावल	1	1
3	नमक (आयोडीन युक्त)	1	1
4	नमक ;क्थ्ैद्ध	1	1
5	दाल	–	–
6	शक्कर	चीनी राज्य पर निर्भर	

स्रोत – मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2019–20

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 2 को देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें मध्य प्रदेश में खाद्यान्न, चीनी एवं नमक के वितरण को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें गेहूँ का मूल्य 1 रुपया प्रति किलोग्राम,

चावल भी 1 रुपया प्रति किलोग्राम, नमक (आयोडीनयुक्त) भी 1 रुपया प्रति किलोग्राम, नमक (क्थै) भी 1 रुपया प्रति किलोग्राम और शक्कर का मूल्य निर्धारित न करके राज्यों पर स्वतंत्र छोड़ दिया गया था।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य के कृषिकों के खाद्य सामग्री क्रय कर उनके खाते में धनराशि का सीधे भुगतान करने का प्रावधान किया गया, जिसके लिए वर्ष 2014–15 से वर्ष 2020–21 के मध्य प्रत्येक वर्षों में क्रय किये सामग्रियों का विवरण सारणी क्रमांक 3 के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चुनौतियाँः–

मध्य प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सफल संचालन किया जा रहा है। इस प्रणाली के अन्तर्गत लक्षित सार्वजनिक प्रणाली को जोड़ा गया है और साथ ही द्वार प्रदाय योजना को भी इसमें जोड़ा गया है। इस प्रणाली के माध्यम से निम्न वर्ग के लोगों को गेहूँ, चावल, आयोडीन युक्त नमक, नमक (क्थ्ैद्ध दाल, मिट्टी का तेल, चीनी, चना और अन्य सामग्रियों को हितग्राहियों को प्रदान किया जा रहा है। ताकि निम्न वर्ग के लोगों को भी शासन द्वारा सम्बल प्रदान कर उच्च वर्ग के समतुल्य बनाया जा सके लेंकिन शासन द्वारा उपरोक्त सामग्रियों के वितरण के बावजूद भी इस प्रणाली का सही संचालन नहीं हो पा रहा है, जिसका प्रमुख कारण इस प्रणाली में आने वाली अनेक विसंगतियाँ हैं, जो मध्य प्रदेश शासन के सामने चुनौती बनकर खड़ी है। इस प्रणाली के सफल संचालन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों के बाद भी शासन निरन्तर प्रयत्नशील है कि हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपरोक्त सामग्री का सही समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकें। ताकि पिछले 1 वर्षों से जूझ रहे वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान भी हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े नहीं तो देश के विकास की गति बाधित होगी। इस प्रकार रीवा रीवा जिले के सामने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल संचालन में आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं–

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिये जाने वाले खाद्य सामग्री गुणवत्ता युक्त होने के कारण यहाँ के लोगों में यह प्रणाली असन्तोष का कारण बनी हुई है।
2. मध्य प्रदेश शासन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समेकित करते हुए नये–नये योजनाएँ लागू न करने से लोगों के बीच चुनौती का कारण बना हुआ है।
3. हितग्राहियों के विकास हेतु नये अधोसंरचना का निर्माण करना भी चुनौती का कारण है।
4. राज्य के सभी ग्राम पंचायतों एवं आश्रित ग्रामों के खाद्यान्न सुरक्षा हेतु पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित गोदामों एवं उचित रख–रखाव की व्यवस्था करवाना भी राज्य के सामने चुनौती का कारण है।

5. खुले बाजार से कम कीमतों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वस्तुएँ प्राप्त न होना भी राज्य के सामने चुनौती का प्रमुख कारण है।
6. राज्य के उपभोक्ताओं द्वारा इस प्रणाली के सम्बंध में की गयी शिकायतों पर समय पर उचित कार्यवाही न करना भी चुनौती का कारण बना हुआ है।
7. इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को जितनी खाद्य सामग्री मिलनी है उसस` कम मिलना राज्य के सामने चुनौती का प्रमुख कारण।
8. राज्य शासन द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दूकानों का सभी ग्रामीण क्षेत्रों में न खोला जाना भी चुनौती का विषय बना हुआ है।
9. इस योजना की सबसे बड़ी चुनौती राज्य के सामने इस बात की है कि निःस्वार्थ लोगों के हाथों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रबन्ध को सौंपा नहीं गया है।
10. शासन द्वारा संचालित आगनवाड़ी एवं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम पोषण आहार की गुणवत्ता पर ध्यान न देना भी

मध्य प्रदेश राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समाधान हेतु प्रयास :–

मध्य प्रदेश राज्य में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपरोक्त चुनौतियों के होते हुए भी शासन द्वारा इसे दूर करने के सतत प्रयास किये जा रहे हैं और इन प्रयासों को दृष्टिगत रखते हुए इनके समाधान के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं –

1- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिये जाने वाले खाद्य सामग्री जैसे – गेहूँ, चावल, खाद्य तेल, चीनी, चना एवं दाल इत्यादि भी प्रदान किये जाने की व्यवस्था शासन द्वारा की जा रही है।

2- शासन द्वारा संचालित आगनबाड़ी केन्द्रों एवं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम पोषाहार की गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

3- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पौष्टिक खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

4- सरकार द्वारा गरीब वर्ग के लोगों हेतु नवीन–नवीन योजनाएँ लागू करायी जा रही है।

5- सरकार द्वारा राज्य की गरीबी दूर करने के सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

शोध निष्कर्ष :–

मध्य प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद भी उनमें समाधान के कुछ आवश्यक प्रयास शोधार्थी द्वारा बतलाए गये है, जिसे शासन द्वारा अपनाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है, जिससे मध्य प्रदेश शासन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था में सुधार आयेगा और हितग्राहियों का इस योजना के प्रति विश्वास बढेगा। राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनेक विसंगतियों के होने के बाद भी राज्य के गरीब वर्ग के लोगों हेतु वरदान साबित हुआ है, क्योंकि आज भी राज्य की 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही है, जिनके आय का प्रमुख स्रोत कृषि कार्य ही है, जो आज भी मानसून पर आधारित है, इसलिए आज भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। इस वितरण प्रणाली से ग्रामीण अंचलों में निवासरत गरीब तबके के लोगों को प्रत्येक माह के लिए खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर सहजता से उपलब्ध हो जा रही है, जिससे इस वर्ग के लोगों को काफी सम्बल मिल रहा है और वे समाज में अपनी स्वयं की पहचान बनाने में सक्षम हो रहे हैं।

शोध सन्दर्भ :

1. सिन्हा, डॉ. वी.सी. एवं सिन्हा, डॉ. पुष्पा, व्यावसायिक पर्यावरण, संस्करण–2009, एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाऊस/20–बी, निकट तुलसी सिनेमा आगरा, मथुरा बाईपास रोड, आगरा–282002.
2. त्रिवेदी, डॉ. आर. एन., शुक्ला, डॉ. डी.पी., रिसर्च मैथ्डोलॉजी, संस्करण–1993–94, 83, त्रिपालीया बाजार, जयपुर–2, राजस्थान
3. अग्रवाल, डॉ. आर. सी. कोठारी, एन. एस., व्यवसाय और सरकार, संस्करण–1993, मलिक एण्ड कम्पनी (प्रकाशन), चौड़ा रास्ता, जयपुर–302003
4. शुक्ला, डॉ. अखिलेश, रीवा दर्शन, सस्कंरण 2018–19, गायत्री पब्लिकेशन्स, पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रिब्यूटर्स, रीवा (म.प्र.)
5. मिश्रा, एस. एण्ड पुरी, वी. के., भारतीय अर्थव्यवस्था, 19 वां संस्करण–2007, हिमालया पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि., कलकत्ता.